प्रेषक

महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

सेवा में,

मुख्य शिक्षा अधिकारी,
हरिद्वार/ऊधम सिंह नगर।

पत्रांक/शिविर/ 5520-27/2013-14 दिनांक 12 नवम्बर, 2013

विषय-- **शिक्षकों-कर्मियों के अन्यत्र सम्बद्धीकरण न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र उपलब्ध न कराये जाने पर स्पष्टीकरण विषयक।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक महानिदेशालय के पत्र संख्या-4613-54/2013-14 दिनांक 10 अक्टूबर, 2013 व पत्र संख्या-5083-5147 दिनांक 06 नवम्बर, 2013 द्वारा अपने मूल कार्यरत स्थल से अन्यत्र सम्बद्ध शिक्षकों-कर्मियों को मूल स्थल हेतु कार्यमुक्त करते हुये इस आशय का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दिये गये थे कि अब कोई भी शिक्षक-कर्मी सम्बद्ध नहीं है। किन्तु आपके द्वारा इस आशय का प्रमाण पत्र अद्यतन महानिदेशालय को उपलब्ध नहीं कराया गया है, जो अत्यन्त खेदजनक स्थिति है। यह शासकीय कार्य के प्रति आपकी उदासीनता एवं लापरवाही को दर्शाता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि **दो दिन के अन्दर** उक्त सम्बन्धी प्रमाण पत्र एवं प्रमाण पत्र समय पर उपलब्ध न कराये जाने सम्बन्धी स्पष्टीकरण अधोहस्ताक्षरी को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। अन्यथा की स्थिति में यह समझा जायेगा कि आप शासकीय कार्य के प्रति कदापि सजग नहीं है। **साथ ही इसे अन्तिम चेतावनी समझा जाय।**

भवदीय

(राधिका झा)
महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।

पृ.सं./शिविर/ 5520-27/2013-14 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड को अवलोकनार्थ।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा उत्तराखण्ड।
3. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, अकादमिक शोध एवं प्रशिक्षण, उत्तराखण्ड।
5. अपर निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक कुमाऊँ मण्डल नैनीताल।
6. अपर निदेशक माध्यमिक/प्रारम्भिक गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।

(राधिका झा)
महानिदेशक,
विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड।